राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–9) विभाग

क्रमांक प.33 (2)गृह–9/2019 जयपुर दिनांक 26.03.2020

आदेश

विषयः–भारत सरकार गृह मंत्रालय के आदेश क्रमांक 40–3/2020–डी दिनांक 24.03.2020 द्वारा घोषित लॉकडाउन की क्रियान्विति।

विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22.03.2020 द्वारा जारी किये गये निर्देश, भारत सरकार गृह मंत्रालय के आदेश क्रमांक 40–3/2020–डी दिनांक 24.03.2020 द्वारा सम्पूर्ण देश में लॉकडाउन लागू किये जाने के मध्यनजर अधिक्रमित किये जाते है। तद्नुसार भारत सरकार द्वारा जारी की गयी गाईडलाईन्स की राजस्थान राज्य में क्रियान्विति हेतु निम्नानुसार निर्देशित किया जाता हैः–

A- बंद एवं छूट (Closure and exceptions)

1. भारत सरकार के कार्यालय, स्वायत्तशाषी संस्थाऐं, अधीनस्थ कार्यालय एवं सार्वजनिक निगम बंद रहेगें।

   छूटः (Exceptions)

   रक्षा, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल, ट्रेजरी, संवेतन एवं लेखा कार्यालय, नियंत्रक एवं महालेखाकार के क्षेत्रीय कार्यालय (न्यूनतम स्टाफ), जनउपयोगी सेवाऐ(पेट्रोलियम, सी.एन.जी. एल.पी.जी., पी.एन.जी., डिपो एवं बॉटलिंग प्लांट्स, विक्रय केन्द्र आदि), आपदा प्रबन्धन, ऊर्जा उत्पादन, ट्रान्समीशन एवं वितरण इकाईयॉ, पोस्ट ऑफिस, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, पूर्वानुमान एजेन्सीज, पोर्ट/एयरपोर्ट/लैण्ड बॉर्डर, कस्टम क्लीरियेन्स कार्यालय, GSTN & MCA 21 Registry (न्यूतनम स्टाफ), भारतीय रिजर्व बैक एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित वित्तीय मार्केट इकाईयॉ जैसे एन.पी.सी.आई., सी.सी.आई.एन., पेमेन्ट सिस्टम ऑपरेटर्स, प्राईवेट प्राथमिक डीलर (न्यूनतम स्टॉफ),

2. राज्य सरकार, स्वायत्तशाषी संस्थाओं, निगमों के कार्यालय बंद रहेगे

   छूट (exceptions) :

   a. पुलिस, होमगार्डस, नागरिक सुरक्षा, अग्नि एवं आपातकालीन सेवाऐं, आपदा प्रबन्धन एवं जेल।
   b. जिला प्रशासन एवं ट्रेजरी (वित्त), महालेखाकर के क्षेत्रीय कार्यालय (न्यूनतम स्टॉफ)
   c. विद्युत, पेयजल, स्वच्छता,
   d. नगरीय निकाय, आवश्यक सेवाऐं जैसे स्वच्छता, अग्नि शमन तथा जल आपूर्ति से संबंधित आवश्यक कार्मिक
   e. वन विभाग कार्यालय, चिडियाघर, नर्सरी, वन्य जीव एवं दावानल शमन सेवाऐ, वृक्षारोपण, पेट्रोलिंग एवं परिवहन के लिए आवश्यक कार्मिक,

f. समाज कल्याण विभाग– बालकों, दिव्यांगजन एवं वृद्धजन के आश्रय स्थलों को संचालित करने हेतु न्यूनतम कार्मिक

क्रम.संख्या 1 एवं 2 पर वर्णित कार्यालयों द्वारा न्यूनतम कार्मिकों के साथ कार्य करेगें इन कार्यालयों के कार्मिक को निवास से कार्यालय एवं कार्यालय से निवास तक आने जाने के लिए अधिकृत पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर अनुमति देय होगी। अन्य कार्यालय "Work from Home" के रूप में कार्य करते रहेगें।

3. अस्पताल तथा संबंधित सभी मेडिकल संस्थाऐं इनकी निर्माण एवं वितरण इकाईयॉं, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की डिस्पेन्सरीज, लेबोरेट्रीज, क्लीनिक्स, नर्सिग होम्स, एम्बूलेन्स, पशु चिकित्सालय, औषधि एवं औषधीय अनुसंधान प्रयोगशालाऐं आदि क्रियाशील रहेगी। चिकित्सा कार्मिकों, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टॉफ एवं अस्पतालों का सपोर्ट सर्विस स्टाफ की परिवहन सेवाऐं बिना व्यवधान के जारी रहेगी।

4. निजी एवं वाणिज्यक प्रतिष्ठान बंद रहेगे

छूट (exceptions) :

a. आवश्यक वस्तुऐं यथा राशन की दुकानें (सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत), खाद्य सामग्री, किराना, जनरल प्रोविजन, फल एवं सब्जी, डेयरी एवं दूध वितरण केन्द्र, मांस एवं मछली, पशु आहार, दवाईयॉं, चिकित्सा उपकरण, बीज एवं कीटनाशक आदि के विक्रय की दुकानें। तथापि जिले के अधिकारी कम से कम लोग घरों से बाहर निकले इसको दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक वस्तुओं की ''होम डिलेवरी'' को आसान बनायेंगे एवं प्रोत्साहित करेगें। इस संबंध में पृथक से निर्देश जारी किये गये है।

b. बैक एवं बीमा कार्यालय, एटीएम इनके सूचना प्रौद्योगिक से संबंधित विक्रय केन्द्र, बैंक अभिकर्ता तथा एटीएम के संचालन एवं नकदी प्रबन्धन एजेन्सीज।

c. प्रिन्ट एवं इलैक्ट्रोनिक मीडिया।

d. दूरसंचार, इन्टरनेट सर्विस, ब्रोडकास्टिंग एवं केवल सर्विस, सूचना प्रौद्योगिकी एवं आई.टी. एवं ITes सेवाऐं (अति आवश्यक सेवाऐं) जहां तक संभव हो Work from Home

e. मात्र सरकारी कार्य के लिए डाटा एंव कॉल सेन्टर

f. आवश्यक सेवाओं की प्रदायगी– खाद्य, औषधीय, चिकित्सा उपकरण ई कॉमर्स/होम डिलेवरी सेवाओं सहित।

g. पेट्रोल पम्पस, एल.पी.जी. पेट्रोलियम एवं गैस के खुदरा एवं भण्डारण विक्रय केन्द्र।

h. ऊर्जा उत्पादन, ट्रान्समीशन एवं वितरण इकाईयों एवं सेवायें।

i. भारत के प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा अधिसूचित कैपीटल एवं ऋण बाजार सेवाऐं

j. कोल्ड स्टोरेज एंव भण्डारण सेवाऐं,

k. अनाज व फल एंव सब्जी मंडिया

l. निजी सुरक्षा सेवाऐं

m. परिवहन सेवाओं के कार्यालय (आवश्यक वस्तुओं के परिवहन हेतु)

अन्य प्रतिष्ठान "Work from Home" मे रहेंगे।

उपरोक्त वर्णित श्रेणियों के व्यक्ति के लिएकार्यालय/कम्पनी द्वारा जारी किये गये आई.डी. कार्ड (परिचय पत्र) प्रस्तुत करने पर निवास से कार्यस्थल एवं कार्यस्थल से निवास आने जाने के लिए अनुमती रहेगी। अन्यथा स्थिति में इनकों पास जारी किये जायेंगे।

5. औद्योगिक प्रतिष्ठान एवं वर्कशॉप बंद रहेगे।

छूट (exceptions) :

अ. आवश्यक वस्तुओं की उत्पादन इकईयॉ तथा ड्रग्स औषधीय मेडिकल उपकरण, इनके कच्चे माल तथा आटा चक्की सहित आवश्यक खाद्य प्रसंस्करण इकईयॉ

ब. राज्य सरकार से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत उत्पादन इकाईयॉ जिनका "Continuous Process" आवश्यक है, कोयला एवं मिनरल उत्पादन, खानों के संचालन के लिए विस्फोटक एवं अनुषांगिक गतिविधियों के परिवहन एवं आपूर्ति

स. खाद्य आईटमो, ड्रग्स, औषधीय एवं मेडिकल उपकरणों के पैकेजिंग सामग्री उत्पादन की इकाईयॉ।

द. कैमिकल इकाईयां, उस समय तक, जब तक कि उनका वर्तमान उत्पादन चक्र समाप्त नहीं हो जाता।

य. आवश्यक वस्तुओं मेडिसन एवं मेडिसन उपकरणों, होम डिलेवरी, ई–कॉमर्स कम्पनी, ट्रान्सपोर्ट कम्पनीज (आवश्यक सामान) के स्टोरेज से संबंधित वेयर हाउस एवं गोदाम। एफ.सी.आई. एवं राजस्थान राज्य भण्डारण निगम के सभी गोदाम एवं वेयर हाउस खुले रहेगें।

उपरोक्त गोदाम एवं वेयर हाउस के संचालन के लिए आवश्यक स्टॉफ, वर्कर एवं मजदूरों को घर से कार्य स्थल एवं कार्य स्थल से घर आने जाने के लिए पास जारी किये जायेगे।

6. परिवहन सेवाऐं एवं परिवहन – वायु, रेल एवं सडक की सभी परिवहन सेवाऐं निलम्बित रहेगी।

छूट (exceptions) :

अ. कार्गो के आवागमन के लिए रेल्वेज एवं एयरपोर्टस संचालन एवं राहत कार्य के संचालन से सम्बन्धित संगठन।

ब. सामान एवं कार्गो के अन्तर्देशीय एवं निर्यात हेतु अन्तर्राज्यीय आवागमन।

स. पेट्रोलियम एवं पेट्रोलियम उत्पाद, एल.पी.जी. खाद्य उत्पाद, मेडिकल आपूर्ति सहित आवश्यक सामान का सीमा पार आवागमन।

किसी भी वाणिज्यिक एवं निजी वाहन को सडक पर चलने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

छूट (exceptions) :

अ. एम्बुलेन्स

ब. ऑन ड्यूटी सरकारी वाहन (अनुबंधित सहित)

स. आवश्यक वस्तुओं व इनकी आपूर्ति की सप्लाई चैन के लिए आवश्यक वस्तुओं के परिवहन वाहन।

द. अग्नि शमन, कानून एवं व्यवस्था, आवश्यक एवं आपातकालीन सेवाऐं।

य. छूट वाली श्रेणियों के कार्मिकों के व्यक्तिगत वाहन/अनुबंधित वाहन (छूट वाली कम्पनियों के प्रकरणों में) बशर्ते उनके पास वैध पहचान पत्र या पास हो, को निवास से कार्यस्थल एवं कार्यस्थल से निवास आने जाने के लिए ।

र. व्यक्तिगत आपातकॉलीन स्थिति में व्यक्तिगत/वाणिज्यिक वाहन (टैक्सी/ऑटो) विशेष तौर पर मेडिकल के लिए, जिसके लिए अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी अस्थाई पास आवश्यक होगा।

अन्तर्राज्यीय सीमाओ की लॉकडाउन एवं सीलिंग के कारण राजमार्गो पर रोक दिये गये सभी ट्रको एवं माल वाहनों को अपने गंतव्य पर पहुॅचनें की अनुमति प्रदान की जाती है।

7. सभी आतिथ्य सेवाऐं निलम्बित रहेगी।

छूट (exceptions) :

ए. होटल्स, अतिथि गृह, लॉज एवं मोटल्स जिनमें लॉकडाउन के कारण फसे हुए पर्यटक एवं व्यक्ति तथा मेंडिकल एंव आपातकालीन स्टाफ, वायु एवं समुद्री चालक दल ठहरें हुए है

बी. क्वारिटांईन सुविधाओं के लिए चिन्हित/उपयोग किये गये प्रतिष्ठान।

8. सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण, अनुसंधान, कोचिंग संस्थान इत्यादि बंद रहेगे।

9. सभी पूजा स्थल जनता के लिए बंद रहेगे। किसी अपवाद के बिना कोई धार्मिक सम्मेलन/सभा की आज्ञा नहीं होगी।

10. सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक/ धार्मिक कार्यक्रम/सभाऐं वार्जित रहेगी।

11. अन्त्योष्टि के मामलो में 20 से अधिक व्यक्तियों को एकत्रित होने की अनुमति नहीं होगी एवं शव यात्रा में सामाजिक दूरी की अनुपालना की जायेगी।

12. ऐसे सभी व्यक्ति जो भारत में 15.02.2020 के बाद आये है और ऐसे व्यक्ति जिनको स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के लिए, स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा घर/संस्थागत क्वारिटांईन में रहने के लिए सख्त हिदायत की गयी है, द्वारा विफल

रहने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी रहेगे।

13. जहां कही भी रोकथाम के उपरोक्त वर्णित उपायों में छूट प्रदान की गयी है ऐसे संगठन एवं नियोक्ता कोविड–19 वायरस के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय–समय पर कोविड–19 वायरस के विरूद्ध सुझायी गये आवश्यक सावधानियों तथा सामाजिक दूरी के उपायो की अनुपालना करेगे।

B- क्रियान्वयन मशीनरी

1. इन रोकथाम के उपायों को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट (जयपुर एवं जोधपुर मेट्रोपोलिटन क्षेत्र के लिए पुलिस आयुक्त) अपने स्थानीय क्षेत्राधिकार में कार्यकारी मजिस्ट्रेट्स को इन्सीडेन्ट कमाण्डर (Incident Commanders) नियुक्त करेंगे। इन्सीडेन्ट कमाण्डर्स अपने अधिकारिता क्षेत्र में इन रोकथाम उपायों की सम्पूर्ण क्रियान्विति के लिए उत्तरदायी होगे। अन्य सभी लाईन विभागो के अधिकारी निर्दिष्ट क्षेत्र में इन्सीडेन्ट कमाण्डर्स के अधीन कार्य करेंगे।
2. इन्सीडेन्ट कमाण्डर्स विशेष रूप से यह सुनिश्चित करेगें कि अस्पताल के बुनियादी ढांचे के विस्तार एवं वृद्धि के लिए संसाधानों, श्रमिकों और सामग्री को जुटाने के सभी प्रयास बिना किसी बाधा के जारी रहेगे।
3. इन्सीडेन्ट कमाण्डर्स यह सुनिश्चित करेंगे कि आदेश से छूट दी गयी सभी गतिविधियॉ तथा उनसे जुडी हुयी आपूर्ति की श्रृंखला बिना किसी बाधा के काम कर रही है।
4. बूथ लेवल अधिकारी तक की चुनावों को संचालित करने वाली अधिकारिक मशीनरी का उपयोग सूचना एवं संचार की सहायता के लिए किया जायेगा। जिला मजिस्ट्रेट इस संबंध में आवश्यक आदेश जारी करेंगे।
5. पूरी पुलिस मशीनरी उपरोक्त वर्णित रोकथाम उपायों को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक/उपायुक्त पुलिस के नियंत्रण एवं निर्देशन में रहते हुए जिला मजिस्ट्रेट (जयपुर एवं जोधपुर मेट्रोपोलिटन क्षेत्र के लिए पुलिस आयुक्त), कार्यकारी मजिस्ट्रेट्स (Incident Commanders) को सहयोग प्रदान करेगी।

C. स्वीकृतियां एवं पास जारी करने की व्यवस्था :–

1. क्रम संख्या ए. 1, 3, 4 एवं 5 की श्रेणी के लिए को खुले रहने के लिए पृथक से स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी। तथापि केवल आई.टी. एवं IT सक्षम सेवाओं के संबंध में, आई.टी. विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा ऑन–लाईन अनुमति दी जायेगी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इनमें से केवल ऐसी कंपनियां चालू हैं जो इस अवधि के दौरान आवश्यक सेवाओं के प्रावधान से संबंधित है।
2. इन्सीडेन्ट कमाण्डर की समग्र निगरानी में उपरोक्त श्रेणी के स्टाफ के आने जाने के पास भी सूचना एंव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी किये जायेगे।
3. छूट वाली श्रेणी की औद्योगिक इकाई/वर्कशॉप के लिए स्वीकृतियॉ वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक, क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको या जिला औद्योगिक केन्द्र के महाप्रबन्धक द्वारा जारी

की जायेगी। उद्योग की प्रकृति के संबंध में किसी भी प्रकार की भ्रांति होने पर प्रकरण प्रबन्ध निदेशक, रीको या अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग विभाग को जैसी भी स्थिति हो, प्रेषित किये जायेगे।

4. उपरोक्त श्रेणी के स्टाफ/श्रमिकों के आने जाने के लिए पास वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक/क्षेत्रीय प्रबन्धक रीको/महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र द्वारा इन्सीडेन्ट कमाण्डर की समग्र निगरानी में जारी किये जायेगे।

5. श्रेणी 4 (ए) के व्यक्तियों के लिए उनके स्टाफ सहित, पास इन्सीडेन्ट कमाण्डर अथवा उनके सहायक के रूप में उप पुलिस अधीक्षक/सहायक पुलिस आयुक्त तथा क्षेत्र के थानाधिकारी द्वारा जारी किये जायेगे।

6. किसी व्यक्तिगत आपातकालीन स्थिति में अस्थाई पास इन्सीडेन्ट कमाण्डर अथवा उनके सहायक के रूप में उप पुलिस अधीक्षक/सहायक पुलिस आयुक्त तथा क्षेत्र के थानाधिकारी द्वारा जारी किये जायेगे।

7. किसी भी तात्कालीक चिकित्सकीय आपात स्थिति में सिस्टम को उदार बनाया जा सकता है तथा उपलब्ध निकटतम बीट कान्सटेबल द्वारा मौके पर ही बिना किसी बिलम्ब के पास जारी किया जा सकेगा ताकि व्यक्ति/वाहन को अस्पताल के रास्ते में किसी भी चैक पोइंट पर बाधित नहीं किया जाये। तद्नुसार पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त आपातकालीन पास जारी करने हेतु उपयुक्त व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

8. ऑन लाईन पास प्राप्त करने हेतु एप आधारित व्यवस्था तत्काल व्यवस्था में लायी जाये और इसे तत्काल क्रियाशील किया जाये।

9. जिला परिवहन अधिकारी अस्पतालों के निकट बदलते हुए क्रम में टैक्सी/ऑटों की उपलब्धता के लिए एक छोटे पूल की व्यवस्था करेंगे। यह व्यवस्था बीमार व्यक्ति एवं उसके सहयोगी को अस्पताल से घर जाने के लिए की जायेगी। इसी प्रकार की परिवहन व्यवस्था घर से अस्पताल आने की आवश्यकता की पूर्ति हेतु की जावे। इसका प्रबन्धन स्थानीय पुलिस द्वारा किया जायेगा।

उपरोक्त लॉकडाउन आदेशों को प्रभावी ढंग से लागू किया जावे ताकि सामाजिक अलगाव के माध्यम से लॉकडाउन के उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके एवं राज्य में मानव जीवन और उसका स्वास्थ्य खतरे में नहीं पडे एवं कोविड–19 के वायरस के खतरे का सफलतापूर्वक निराकरण किया जा सके।

इसके साथ ही जिन छूटों का प्रावधान किया गया है वे बिना किसी व्यवधान के लागू की जाये ताकि लॉकडाउन के कारण प्रभावित नागरिकों को आवश्यक वस्तुऐं एवं सेवाऐं मुक्त प्रवाह से उपलब्ध हो सके।

(राजीव स्वरूप)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. सचिव, राजस्थान विधानसभा।
3. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
4. विशिष्ठ सहायक, उप मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
5. विशिष्ठ सहायक/निजी सचिव, समस्त माननीय मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण।
6. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान।
7. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
8. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान।
9. महानिदेशक, होमगार्डस/जेल, राजस्थान।
10. समस्त विभागाध्यक्ष।
11. समस्त संभागीय आयुक्त/महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक पुलिस रेंज, राजस्थान।
12. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
13. समस्त जिला कलक्टर/जिला पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त।
14. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद।
15. समस्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी।
16. आयुक्त, सूचना एंव जन सम्पर्क सूचना विभाग को सभी प्रचार माध्यमों से व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।

(पी.सी. बैरवाल)
विशिष्ठ शासन सचिव, गृह